उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, भृत्य (कलेक्टर रेट/संविदा) की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति/विज्ञापन

(अभ्यर्थी पदवर्ग (i), (ii), (iii) में से केवल एक पदवर्ग हेतु ही आवेदन कर सकता है)

आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि : (15 अक्टूबर, 2014, बुधवार)

साक्षात्कार की तिथि : (15, नवम्बर 2014, शनिवार)

राज्य के जिला न्यायालयों में वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, भृत्य (कलेक्टर रेट/संविदा) की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र, **अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2014 (बुधवार)** की **शाम 5.00 बजे** तक सीधे उस जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए जिस जिले में रिक्त पदों की भर्ती हेतु आवेदन किया जा रहा है।

(1) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :-

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	तकनीकी अर्हता
वाहन चालक (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/ **(कलेक्टर रेट**/संविदा) प्रवर्ग	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेंस
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/**भृत्य/चौकीदार/वाटर-मेन/माली (कलेक्टर रेट**/संविदा) प्रवर्ग	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/**स्वीपर (कलेक्टर रेट**/संविदा) प्रवर्ग	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	

टीप :- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम् शैक्षणिक/तकनीकी अर्हतायें आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।

पदवर्ग (i) वाहन चालक (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट/संविदा) प्रवर्ग के पदों की आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियॉं :-

स. क्रं.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति	योग
1	अलीराजपुर			1		1
2	अनूपपुर	1			1	2
3	बैतूल				1	1
4	भिण्ड	1				1
5	भोपाल	1				1
6	बुरहानपुर	1				1

7	छिन्दवाड़ा	1			1	2
8	दमोह	1				1
9	देवास	1				1
10	गुना	2			1	3
11	ग्वालियर		1			1
12	हरदा		1			1
13	जबलपुर	2				2
	कुटुम्ब न्यायालय	1				1
14	झाबुआ				1	1
15	खण्डवा	1				1
16	कटनी	1			2	3
17	नीमच	1				1
18	रायसेन	2		1		3
19	राजगढ़	1				1
20	रीवा			1		1
21	सतना	1			1	2
22	सिवनी	3				3
23	श्योपुर	1				1
24	सीधी	1				1
25	टीकमगढ़	1				1
26	उज्जैन	1				1
	योग	**26**	**2**	**3**	**8**	**39**

पदवर्ग (ii) आकस्मिकता निधि से वेतनमोगी कर्मचारी/भृत्य/चौकीदार/वाटरमेन/माली (कलेक्टर रेट/संविदा) प्रवर्ग के पदों की आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

स. क्र	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अ0पि0वर्ग			अनु0जाति			अनु0जनजाति			योग
		सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	
1	अलीराजपुर										1			1
2	अनूपपुर	1									1	1	2	5
3	बालाघाट	1			1									2
4	बैतूल	2						1			1			4
5	भोपाल	3	2		2					1				8
6	बुरहानपुर		1											1
7	छतरपुर	2	2					1						5
	कुटुम्ब न्यायालय	2	1											3
8	छिन्दवाड़ा	2	2				1				3	1		9
9	दमोह	1	2					2			1			6

10	दतिया				1									1
11	देवास	3	1		1			1			1			7
12	डिण्डौरी				1						1			2
13	गुना	6	3		2	1		2	1		2			17
14	ग्वालियर	2		1										3
15	हरदा	2			1						2	1		6
16	होशंगाबाद	2	1		1			1			1			6
17	इंदौर	25	11	2	6	3		6	2		4	1		60
18	जबलपुर	1		1	1						1			4
	कुटुम्ब न्यायालय	2			1			1						4
19	झाबुआ				1						1			2
20	खण्डवा		1								1		1	3
21	कटनी		1		2		3	1						7
22	नरसिंहपुर	1	1		1									3
23	नीमच	2												2
24	रायसेन	2			1			1			1			5
25	राजगढ़	4	2		1									7
	कुटुंब न्यायालय	1			1									2
26	रतलाम	4	1		1						2			8
27	रीवा	1	1		1						1			4
28	सागर	1									1			2
	कुटुंब न्यायालय	1						1						2
29	सतना	4	2		1			2			1			10
30	सिवनी	2			2						5	2		11
	कुटुम्ब न्यायालय	1												1
31	शहडोल	1			1						2			4
32	सीधी	3	1		2			1			2			9
33	सिंगरौली – बैढन	1			1			2						4
34	टीकमगढ़	2	1		1									4
	कुटुम्ब न्यायालय	1												1
35	उज्जैन	2	1		1			1						5
	कुटुम्ब न्यायालय	1			1									2
36	विदिशा	2	2		2			1	1					8
	कुटुम्ब न्यायालय							1						1
37	मण्डलेश्वर	1	1		1						2			5
	कुटुम्ब न्यायालय	4	1	1	1	1					1	2		11
38	भिण्ड	8	3	1	2	1		2	1					18
	योग	**107**	**45**	**6**	**43**	**6**	**4**	**28**	**5**	**1**	**39**	**8**	**3**	**295**

पदवर्ग (iii) आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/स्वीपर (कलेक्टर रेट/संविदा) प्रवर्ग के पदों की आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :–

स. क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित		अ0पि0वर्ग		अनु0जाति		अनु0जनजाति		योग
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1	अलीराजपुर							1		1
2	अनूपपुर			1				1		2
3	छिन्दवाड़ा					1				1
4	दतिया	1				1				2
5	हरदा					1				1
6	इंदौर	2	1	1		2				6
7	खण्डवा				1				1	2
8	कटनी	2	1							3
9	नरसिंहपुर	1								1
10	नीमच			1						1
	कुटुम्ब न्यायालय	1								1
11	राजगढ़					1	2	1		4
12	रतलाम					1				1
13	सिवनी							1		1
14	टीकमगढ़							1		1
15	उज्जैन			1			1			2
16	कुटुम्ब न्यायालय मण्डलेश्वर					1		2		3
17	कुटुम्ब न्यायालय छतरपुर					1				1
	योग	**7**	**2**	**4**	**1**	**9**	**3**	**7**	**1**	**34**

नोट :– मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत पद एवं महिलाओं का आरक्षण समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाइज) है।

(2) आयु की गणना :–

दिनाँक 01.01.2015 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी 3–11/12/1/3, भोपाल दि. 03 नवम्बर, 2012 एवं परिपत्र क्र. सी 3–11/2012/3/एक, भोपाल दि. 20 नवम्बर, 2012 के अनुसार) निम्नानुसार होगी :–

1. पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) = 40 वर्ष
2. पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल स्वशासीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) = 45 वर्ष
3. पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग0) = 45 वर्ष
4. पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) = 45 वर्ष

5. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) = 45 वर्ष

6. महिला आवेदक (शासकीय/ निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा) = 45 वर्ष

7. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग0) = 45 वर्ष

नोटः– विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु–सीमा में छूट दी जायेगी।

(3) <u>**साक्षात्कार**</u> (उपरोक्त सभी प्रवर्गो के पदों हेतु)– :– **(30 अंक)।**

साक्षात्कार के समय जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय में समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार यदि निर्धारित दिनांक को पूर्ण नहीं हो सके तो वे लगातार अगले दिन भी लिये जायेंगे।

(4) <u>**चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :–**</u>

(1) अभ्यर्थी **पदवर्ग कमांक (i), (ii) एवं (iii)** में से केवल एक पदवर्ग हेतु तथा सिर्फ एक न्यायिक जिला स्थापना में ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदवर्ग तथा एक से अधिक न्यायिक जिला स्थापना में आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी और उसके आवेदन/आवेदनों पर कहीं भी विचार नहीं किया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

(3) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होगें जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हो।

(4) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

(5) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि चयन परीक्षा निःशुल्क है।

(6) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है अर्थात् **पदों की संख्या परिवर्तनीय है।**

(7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को हैं।

(8) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को होगी।

(9) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रकम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।

(10) आरक्षित प्रवर्ग (अ0जा0, अनु0ज0जाति एवं अ0पि0व0) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07–26/ 96/अ–प्र/1, दिनाँक 01.08. 1996 एवं क्रमांक एफ 7–2/96/अ–प्र/1, दिनाँक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(11) विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि के पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(12) साक्षात्कार हेतु स्वीकृत और निरस्त किये गये आवेदनों की सूचना आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पन्द्रह दिन पश्चात **दि. 31 अक्टूबर, 2014 (शुक्रवार)** को जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(13) साक्षात्कार परीक्षा **यथासंभव** एक ही दिनांक को व एक ही समय में प्रदेश के सभी संबंधित जिला मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित होगी, साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना/प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। सूचना प्राप्त करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा जिसे वह जिला न्यायालय कार्यालय से कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकेगा।

(14) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हों अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

15.08.14.

(वेद प्रकाश)
रजिस्ट्रार जनरल

***

//आवेदन पत्र का प्रारूप//

म0प्र0 राज्य की न्यायिक जिला स्थापनाओं पर वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी, आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/भृत्य (कलेक्टर रेट/संविदा) की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय.......................
(म0प्र0)

पासपोर्ट साईज का नवीन एवं रंगीन फोटो यहाँ चिपकाये

1. पदवर्ग का नाम, जिस हेतु आवेदन कर रहे है ....
(अभ्यर्थी केवल एक पदवर्ग हेतु ही आवेदन कर सकता है)

2. आवेदक का नाम – श्री/श्रीमती/कु ....

3. लिंग/Sex (सही खाने में (√) निशान लगाये) पुरूष/Male ☐ स्त्री/Female ☐

4. पिता/पति का नाम – ....

5. जन्म दिनॉक – ....दि0 01/01/2015 को आयु ....वर्ष.........माह..........दिन..........

6. श्रेणी/केटेगरी – अनारक्षित/UR अजा/SC अजजा/ST अपिव/OBC ☐

7. क्या आप अस्थिबाधित विकलांग हैं ? (हॉ या नहीं में उत्तर दें) ....

8. क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं ? (हॉ या नहीं में उत्तर दें) ....

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? (हॉ या नहीं में उत्तर दें) ....

10. क्या आप आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं। (हॉ या नहीं में उत्तर दें) ....
यदि हाँ तो छूट का आधार ....

11. स्थाई पता/Permanent Address ....
(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) ....
....
....

12. पत्राचार का पता /Correspondence Address ....
(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) ....
....
....

13(ए). मोबाईल/फोन नम्बर (यदि हो, तो) – ....

13(बी). आधार कार्ड नंबर (यदि हो तो) – ....

14. शैक्षणिक योग्यता का विवरण –

स. क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/स्कूल/संस्था	वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	टीप यदि कोई हो उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
1	कक्षा आठवीं				
2	अन्य कोई शैक्षणिक/तकनीकी तथा वाहन चालन की योग्यता				

15. पूर्व अनुभव :—

स. क.	कार्य का पूर्व अनुभव, (यदि कोई हो तो)	कार्य स्थल का पता	अवधि	प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो)
1.				
2.				

16. क्या आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित हैं अथवा लंबित रहा हैं अथवा पूर्व दोषसिद्ध/दण्डित है...
(यदि हॉ तो, विवरण दें) –

कं.	प्रकरण कमांक	धाराऐं	न्यायालय का नाम	नियत/निर्णय दिनॉक	रिमार्क /दण्ड
1.					
2.					

निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियॉ आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है: – अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज/प्रमाण पत्र के सामने (√) अथवा संलग्न नहीं किये गये तो (X) का निशान लगाएं –

1	जन्म प्रमाण पत्र (यदि न हो तो बोर्ड परीक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र)	
2	जाति प्रमाण पत्र अजा/अजजा/अपिव हेतु (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त)	
3	मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त)	
4	भूतपूर्व सैनिक/अस्थिबाधित विकलांग अभ्यर्थी से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
5	शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी प्रमाण पत्र	
6	आवेदक का एक नवीन एवं रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ	
7	अन्य प्रमाण पत्र की संख्या (यदि हो)	

स्थान /Place :-------------------------- **आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम**
दिनांक/Date : -------------------------- **Name & Signature of Candidate**

//घोषणा //

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने परीक्षा से सबंधित सभी नियमों एवं विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व संपूर्ण है। यदि मेरा आवेदन विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप निर्धारित समय में नहीं पहुंचता है अथवा किसी भी स्तर पर आवेदन में कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा अपूर्ण पाई जाती है अथवा मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाकर मेरा आवेदन किसी भी प्रकम पर निरस्त कर, मेरा प्रवेश, चयन और अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है अथवा मुझे पद से हटाया जा सकता है।

स्थान /Place :-------------------------- **आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम**
दिनांक/Date : -------------------------- **Name & Signature of Candidate**

—0—